अभिभाषक संघ सीकरी जिला-डीग(राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (डीग)

पीठासीन अधिकारी: श्री सृष्टि जैन (आर.ए.एस.) निर्णय दिनांक: 19.02.2025
वाद संख्या: 14/2024

जन्नी पत्नि रुक्खल जाति मेव निवासी ग्राम बास बुर्जा तहसील सीकरी जिला डीग राज ----पार्थी

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील सीकरी (भरतपुर) राज० ----अपार्थी

प्रार्थना अंतर्गत 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित:-

1. श्री रामनरेश यादव अधिवक्ता प्रार्थी।

निर्णय

यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण ने इस आशय का संस्थित किया कि आराजी खसरा नबंर 686/0.17 बाके ग्राम बास बुर्जा तहसील सीकरी में स्थित है सबूत में नकल जमाबंदी हाल पेश है। उक्त खसरा नबंर प्रार्थिया की खातेदारी की आराजी है। उक्त खसरा नबंर पर प्रार्थीया के पति का नाम रुक्खल के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों की सहबन गलती से रुकमुदीन दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीया के पति का सही नाम रुक्खल पुत्र बदलू है उक्त खसरा नबंर पर जन्नी पत्नि रुकमुदीन राजस्व कर्मचारियों की सहबन गलती से दर्ज हो गया। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पति का नाम गलत इन्द्राज होने से प्रार्थीया को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा सरकारी एंव गैरसरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड रहा है। ऐसी स्थिति में जमाबंदी हाल में खसरा नबंर 686/0.17 बाके ग्राम बास बुर्जा तहसील सीकरी में प्रार्थीया के पति का नाम रुकमुददीन के स्थान पर रुक्खल सही नाम दर्ज किया जावे। जिसका प्रार्थीया पूर्ण अधिकारी है। जिसकी पुष्टि जनआधार कार्ड आधार कार्ड रुक्खल का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड बगेरह से होती है जो सबूत में पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट मय शपथ-पत्र पेश कर निवेदन है कि जमाबंदी हाल संवत 2075 से 2078 के बसरा नबंर 686/0.17

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग) राज०

pg-188

Scanned with OKEN Scanner

बाके ग्राम बास बुर्जा तहसील सीकरी पर प्रार्थीया के पति का नाम रुकमुददीन के स्थान पर रुक्खल सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सीकरी पैरोकार सरकार ने कथन किया कि राजस्व ग्राम बांसबुर्जा में प्रार्थीया जन्नी पत्नी रुक्खल जाति मेव निवासी बांसबुर्जा तहसील सीकरी ने अपने नाम की दुरुस्ती के लिए श्रीमानजी के न्यायालय में धारा 136 के तहत दावा प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में पटवारी हल्का खोहरी से मौका जांच रिपोर्ट ली गयी जिसमें पटवारी के द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि राजस्व ग्राम बांसबुर्जा की जमाबंदी संवत 2076-79 के खाता संख्या 200 ख. न. 686/0.17 में जन्नी पत्नी रुकमुद्दीन हि. पूर्ण जाति मेव खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थिया ने अपने पति का नाम रुकमुद्दीन के स्थान पर रुक्खल करने के लिए वाद दायर किया है। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि जरिये बयनामा नामांतकरण संख्या 276 से प्राप्त हुई है। तथा हाल रिकार्ड में प्रार्थीया के पति का नाम रुकमुद्दीन दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थी के राशन कार्ड संख्या 007417300045 में नाम जन्नी पत्नी रुक्खल दर्ज रिकार्ड है। तथा प्रार्थीया के पति को रुक्खल नाम से जाना जाता है।

प्रार्थी ने अपने पक्ष में जमाबंदी संवत 2076–79 खाता संख्या 200 ग्राम बास बुर्जा, एवं प्रार्थीया का आधार कार्ड की प्रति, जनाधार कार्ड की प्रति, परिवार राशन कार्ड की प्रति पेश की।

प्रार्थना पत्र की बाबत वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया आराजी खसरा नबंर पर प्रार्थीया के पति का नाम रुक्खल के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों की सहबन गलती से रुकमुदीन दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीया के पति का सही नाम रुक्खल पुत्र बदलू है उक्त खसरा नबंर पर जन्नी पत्नि रुकमुदीन राजस्व कर्मचारियों की सहबन गलती से दर्ज हो गया। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पति का नाम गलत इन्द्राज होने से प्रार्थीया को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा सरकारी एंव गैरसरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड रहा है। ऐसी स्थिति में जमाबंदी हाल में खसरा नबंर 686/0.17 बाके ग्राम बास बुर्जा तहसील सीकरी में प्रार्थीया के पति का नाम रुकमुददीन

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग) राज०

Scanned with OKEN Scanner

के स्थान पर रुक्खल सही नाम दर्ज किया जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के पति का नाम रुकमुदीन पुत्र बदलू के स्थान पर रुक्खल पुत्र बदलू शुद्ध किया जावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर जरिए रजिस्टर्ड वयनामा दर्ज किया गया है जिसे अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत शुद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थी सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग)